कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा

निरीक्षण भवन हेतु माली के पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन
अल्प अवधि टेण्डर सं0–01/2016–17

उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग–8 के पत्र सं0–1176/16–27–सिं–8–02/पदसृजन/2015, दिनांक 08.09.2016 एवं प्रमुख अभियन्ता (कार्यालय प्रबन्ध अनुभाग–3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र सं0–2001/काप्रअनु3, दिनांक 07.10.2016 एवं मुख्य अभियन्ता (बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश, झांसी के पत्रांक–2274/मु0अ0बे0/ई–1(8)/रिक्त पद, दिनांक 23.02.2016, पत्रांक–2306/मु0अ0बे0/ई–1(8)/रिक्त पद, दिनांक 25.02.2016, पत्रांक–8875/मु0अ0बे0/ई–1(8) /नियुक्ति, दिनांक 21.09.2016, पत्रांक–92 /मु0अ0बे0 /ई–1(8)/नियुक्ति, दिनांक 28.10.2016, एवं पत्रांक–93/मु0अ0बे0 /ई–1(8)/नियुक्ति, दिनांक 28.10.2016 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा के पत्रांक–1107/सिंकामबां/च–2(सामा0), दिनांक 24.02.2016, पत्रांक–1119/सिंकामबां/च–2(सामा0), दिनांक 01.03.2016, पत्रांक–1930 /सिंकामबां /च–2(सामा0),दिनांक 01.04.2016,पत्रांक–27/सिंकामबां/च–2(सामा0), दिनांक 20.04.2016, एवं पत्रांक–1160/सिंकामबां/च–2(सामा0), दिनांक 28.09.2016, पत्रांक–1247/सिंकामबां/च–2(सामा0), दिनांक 02.11.2016 पत्रांक–1248/सिंकामबां /च–2(सामा0), दिनांक 04.11.2016, के अनुपालन सिंचाई प्रखण्ड, महोबा में निरीक्षण भवन हेतु माली के पद पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हेतु सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता को कम से कम 03 (तीन) वर्षों का राजकीय विभागों का सामान प्रकृति का अनुभव एवं सिंचाई विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा की अन्य शर्तें, विवरण, धरोहर धनराशि एवं अन्य सम्बन्धित विवरण निविदा प्रपत्र में अंकित है। निविदा के विवरण निम्नवत् है, जो विभागीय वेवसाइट http://irrigation.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

1. टेण्डर प्रपत्र शुल्क रू0 270.00
2. टेण्डर बिक्री की अवधि 05.12.2016 से 25.12.2016 मध्यान्ह 2.00 बजे तक निर्धारित है।
3. पूर्ण रूप से भरे गये एवं वांछित अभिलेखों के साथ टेण्डर फार्म को जमा करने की तिथि 25.12.2016 को अपरान्ह 4.00 बजे तक है।
4. निविदा खोलने की तिथि उपस्थित एवं इच्छुक निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक 27.12.2016 को सायं 4.00 बजे।
5. टेण्डर फार्म विभाग की वेबसाइट http://irrigation.up.nic.in पर भी डाउनलोड किये जा सकते है तथा टेण्डर फार्म की लागत रू0 270.00 बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट जो ''अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के नाम देय'' हो भेजे जायें अथवा कार्यालय में नगद जमा किये जा सकते है। अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	श्रेणी				न्यूनतम शैक्षिक योग्यता
				सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आउटसोर्सिंग के माध्यम से माली	रू0 231 प्रतिदिन (इस मण्डल के अधीन प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार एवं 10% ठेकेदार लाभ	01	01	–	–	–	सरकारी विभागों के अन्तर्गत कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र

(इं0 विश्वम्भर)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा
अल्प अवधि टेण्डर सं0–01/2016–17

क्र0सं0	संदर्भ	पृष्ठ–संख्या (संलग्नक)
1	अर्नेष्ट मनी–एफ0डी0आर0	
2	फर्म/संस्था का नाम	
3	संस्था का पंजीकृत पता तथा टेलीफोन नम्बर	
4	पत्राचार का पता तथा टेलीफोन नम्बर	
5	सिंचाई विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग –संलग्न करें)	
6	कान्ट्रैक्ट लेबर रजिस्ट्रेशन–राज्य/केन्द्र	
7	संस्था का लेबर रजिस्ट्रेशन नम्बर	
8	संस्था का सर्विस टैक्स नम्बर	
9	आयकर/पैन नं0 पंजीकरण संख्या	
10	टैन नं0 पंजीकरण संख्या	
11	ई0पी0एफ0 पंजीकरण संख्या	
12	ई0एस0आई0सी0 पंजीकरण संख्या	
13	आई0टी0आर0 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16	
14	बैलन्स सीट 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16	
15	अन्य शासकीय विभाग को सुविधा उपलब्ध कराया जा रही है। (विभाग द्वारा दिये गये आदेशों की प्रतियां संलग्न करें)–हॉ/नहीं	
16	सरकारी विभाग के साथ कार्य का अनुभव प्रमाण)–हॉ/नहीं	
17	संस्था द्वारा दिये गये शपथ–हॉ/नहीं	
18	आई0एस0ओ0 प्रमाण पत्र–हॉ/नहीं	
19	कुल संलग्नक प्रपत्रों की संख्या	

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर सहित

अनुमोदित

(इं0 विश्वम्भर)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा
अल्प अवधि टेण्डर सं0–01/2016–17
वित्तीय निविदा प्रपत्र

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा कार्यालय हेतु वाह्य माध्यम से लिये जाने वाले जन शक्ति के लिये

1. सेवा प्रदाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का नाम

   ....

   ....

   निम्नांकित सर्विस चार्ज कार्मिकों को पारिश्रमिक तथा नियमानुसार देय सर्विस टैक्स के रूप में दिये जाने वाली धनराशि के अतिरिक्त नहीं होगा।

   सेवा प्रदाता द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी दिया जाना अनिवार्य है। सेवा शुल्क में किसी प्रकार का टैक्स सम्मिलित नहीं होगा।

सेवा शुल्क .... (प्रतिशत अंकों में)
सेवा शुल्क .... (प्रतिशत शब्दों में)

निविदादाता के हस्ताक्षर

मोहर सहित

अनुमोदित

(इं0 विश्वम्भर)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा

नियम एवं शर्तें

1. अपूर्ण अथवा निविदादाता सशर्त डाली गई निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. अस्पष्ट/अनावश्यक/अपठनीय निविदा को निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के पास सुरक्षित रहेगा।
4. सेवा प्रदाता द्वारा लिये जाने वाले न्यूनतम सेवा शुल्क जो कि वित्तीय निविदा प्रपत्र के कॉलम में अंकित की जायेगी के आधार पर सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा चयनित सेवा प्रदाता को स्वीकृत किये जाने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा एवं चयनित सेवा प्रदाता के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा। इस हेतु सर्विस प्रोवाइडर को नियमानुसार स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करना होगी। दर स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 सर्विस टैक्स एवं अन्य राजकीय देयता को जमा करने की जिम्मेदारी पूर्णतः निविदादाता की होगी एवं इस हेतु निविदादाता को ही प्रिन्सिपल इम्प्लॉयर माना जायेगा। सर्विस टैक्स व ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 जमा करने के पश्चात् कार्यालय में जमा चालान की सत्यापित प्रति का सत्यापित लेखा प्रस्तुत करने के उपरान्त की व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
6. समस्त निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ रू0 10000.00 परफॉरमेन्स सिक्योरिटी (Performance Security) बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 रूप के संलग्न करना होगा, जो अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के नाम बन्धक होनी चाहिए तथा जिसकी वैधता अनुबन्ध की तिथि से न्यूनतम 01 वर्ष हो। सफल निविदादाताओं को उक्त धनराशि निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
7. समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के पास सुरक्षित रहेगा। यदि किसी भी समय किसी भी स्तर पर कोई गलती/कमी प्रकाश में आती है। या कोई टेक्निकल/वित्तीय कमी सामने आती है तो परिषद को अधिकार होगा कि न्यूनतम निविदादाताओं को निरस्त करके द्वितीय न्यूनतम निविदादाता को टेण्डर आवंटित कर दें।
8. अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः 01 वर्ष की होगी। आवश्यकता न होने अथवा अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने पर अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा द्वारा 30 दिवस की नोटिस पर अनुबन्ध कभी भी समाप्त किया जा सकता है। परस्पर सहमति से कार्य संतोषजनक होने पर अनुबन्ध का विस्तार किया जा सकता है।
9. अनुबन्धित दरें/शर्तें समय–समय पर जारी शासनादेशानुसार परिवर्तित की जा सकेंगी।
10. उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मी विभाग के पे–रोल पर नहीं माने जायेंगे एवं भविष्य में किसी भी तरह के विवाद/कोर्टकेश की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग/एजेन्सी/सेवा प्रदाता की ही होगी। उन कर्मियों का विभाग में सेवा पाने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. आर्बीट्रेशन की स्थिति में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा का निर्णय अन्तिम होगा।
12. समस्त निविदादाताओं को तकनीकी निविदा के साथ रू0 1500.00 अर्नेस्ट मनी अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के पक्ष में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डी0डी0/एफ0डी0आर0 के रूप में देनी होगी। अर्नेस्ट मनी की धनराशि रिफण्डेबल अर्थात वापसी योग्य होगी।
13. अवकाश व कार्यालय समय के उपरान्त भी आवश्यकता पड़ने पर कर्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. न्यूनतम वेतन श्रम विभाग द्वारा जारी दरों पर (नवीनतम मजदूरी अधिनियम 1948) पर आधारित होना चाहिए व किसी भी स्थिति में इससे कम नहीं होना चाहिए।
15. न्यूनतम दर वाले निविदादाता फर्म का कार्य आवंटित किये जाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा बाध्य नहीं है।
16. सफल निविदादाता फर्म को कार्मिक की सेवायें कार्य संविदा के अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित मानदेय पर प्रदेश के 01 माली उपलब्ध कराये जाने होगें।
17. उपलब्ध कराये गये कार्मिक के कार्य, व्यवहार एवं आचरण के लिये फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायीं होगी।
18. कार्मिक की योग्यता शासन द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक की योग्यता का परीक्षण का अधिकार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा को होगा।
19. कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुंचायें जाने की दशा में विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

क्रमशः 2 पर...

20. राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संस्था एवं निविदादाता के मध्य कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन अथवा लम्बित नहीं होना चाहिए। यदि इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा कोई/आदेश/निर्णय किया गया है, तो उसकी प्रति लगाई जाये। किसी प्रकार के वाद का क्षेत्र महोबा का होगा। फर्म द्वारा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. सम्बन्धित कार्मिक को निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। सामान्यतः सार्वजनिक अवकाशों व अन्य राजपत्रित अवकाशों में कार्मिक को अवकाश उपभोग करने की छूट रहेगी, किन्तु अपरिहार्य कारणवश यदि राजपत्रित अवकाश एवं सार्वजनिक अवकाश दिवसों में उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा जिसके लिये अलग से कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
22. सेवा प्रदाता को सिंचाई विभाग की इस मण्डल के अधीन प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
23. सेवा प्रदाता द्वारा एकाउण्ट पेई चेक द्वारा कार्मिक का भुगतान किया जाना होगा।
24. सेवा प्रदाता की अवैधानिक रूप से कर्मी के मानदेय से किसी प्रकार का कटौती का अधिकार नहीं होगा।
25. कार्मिक द्वारा कार्य दिवसों में अवकाश लिये जाने पर संस्थान द्वारा मांगे जाने पर फर्म द्वारा प्रतिस्थानी उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्यालय के अधिकारियों को असंतोषजनक कार्य की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा कार्मिक द्वारा किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये जाने पर संगत धनराशि की कटौती फर्म को देय भुगतान अथवा परफॉर्मेन्सस सिक्योरिटी मनी से की जायेगी।
27. चयनित निविदादाता को जमानत धनराशि रू0 10000.00 का एफ0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के नाम बंधक होगी। निविदादाता एवं अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड, महोबा के मध्य रू0 100/— स्टॅाम्प पेपर निर्धारित शर्तों एवं दरों के आधार पर अनुबन्ध हस्ताक्षर करने होगें।
28. निविदा प्रपत्र अहस्तारणीय (Non transferable) होगा अर्थात निविदा फर्म केवल क्रेता द्वारा ही उपयोग में लाया जा सकेगा।

सेवा सुरक्षा की न्यूनतम अनिवार्यत :—

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकूल पुलिस रिकार्ड एवं आपराधिक मामला दर्ज न हो। सम्बन्धित सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति जिसको सेवायोजित किया जाना है कि पूर्ण जांच कर उसके पूर्ववृत्त एवं चरित्र को प्रमाणित करना होगा।
2. वर्तमान में कार्यालय हेतु कुल 01 कार्मिक की आवश्यकता होगी, जो समय समय पर परिवर्तित हो सकती है सूचना से यथा समय चयनित सेवा प्रदाता एजेन्सी को अवगत करा दिया जायेगा।
3. निविदा की न्यूनतम अवधि 12 माह होगी। जिसे सेवा प्रदाता एजेन्सी की संतोषजनक कार्य प्रणाली के दृष्टिगत दोनों पक्षों की आपसी सहमति तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से परिवर्तित किया जा सकता है।
4. सेवा प्रदाता एजेन्सी को निविदा स्वीकार किये जाने के 30 दिनों के अन्दर कार्मिक को आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

निविदादाता की योग्यता/अर्हता :—

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी सिंचाई विभाग, वन विभाग, उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के अन्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष से पंजीकृत हो साथ ही सरकारी विभागों के अन्तर्गत कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. सेवा प्रदाता एजेन्सी का टर्न ओवर विगत वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रू0 25.00 लाख का होना चाहिए जिसमें 75 प्रतिशत वेतन के रूप में विरण किया हो। जिसके प्रमाण के लिये वित्तीय वर्ष 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 की बैलन शीट एवं आई0टी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य है।
3. सेवा प्रदाता एजेन्सी, आयकर सेवा श्रम विभाग, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम तीन वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए उक्त समस्त पत्राजातों की मूल प्रतियां आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करनी होगी।

क्रमशः 3 पर...

4. सेवा प्रदाता एजेन्सी को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एजेन्सी किसी सरकारी विभाग निकाय/निगम द्वारा काली सूची अथवा अपंजीकृत की सूची में शामिल नहीं की गयी है।
5. सेवा प्रदाता एजेन्सी सेवा कर एवं श्रम विभाग के अन्तर्गत ''मैन पावर सप्लाई'' कम्पनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
6. आई0एस0ओ0 प्रमाणीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी को वरीयता दी जायेगी।
7. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी मैन पावर सप्लाई की हो (सूची संलग्न करें) सेवा प्रदाता को ऊपर दिये गये विवरणों को पूरा करना होगा और न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

अनुमोदित

(इं0 विश्वम्भर)
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई प्रखण्ड, महोबा